UPBJ010038912022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– प्रशान्त मित्तल, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP06174
सत्रवाद संख्याः– 499/2022

सरकार बनाम शाहरूख आदि
मुकदमा अपराध संख्याः–483/2021
धाराः– 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम
थानाः– नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

25–04–2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली अभियक्त सत्तार की मृत्यु आख्या की पुष्टि हेतु नियत है। अभियुक्त सत्तार पुत्र बुन्दू के विरूद्ध जारी गैर जमानती वारन्ट पर थाना किरतपुर से अभियुक्त सत्तार की मृत्यु की सूचना दिनांकित 04–03–2024 न्यायालय को प्राप्त होने पर आदेश दिनांकित 22–04–2024 के द्वारा अभियुक्त सत्तार की मृत्यु की पुष्टि हेतु थाना किरतपुर से उपनिरीक्षक योगेश कुमार को तलब किया गया था। आज उपनिरीक्षक योगेश कुमार थाना किरतपुर न्यायालय उपस्थित आये।

थाना किरतपुर से उपनिरीक्षक योगेश कुमार द्वारा अभियुक्त सत्तार पुत्र बुन्दू निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जिला बिजनौर के सम्बन्ध में मृत्यु आख्या को सिद्ध करने हेतु न्यायालय के समक्ष कथन किया गया कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त सत्तार पुत्र बुन्दू निवासी हुसैनपुर थाना किरतपुर जिला बिजनौर के एन0बी0डब्लू0 जारी हुए थे, उक्त वारन्ट उसे प्राप्त हुआ। उसने अभियक्त के गांव जाकर वारन्ट की तामील कराना चाहा तो उसे पता चला कि अभियुक्त सत्तार की मृत्यु दिनांक 10–02–2024 को हो गयी है। अभियुक्त के परिजनों से मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति ली तथा ग्राम प्रधान मौ0 अनवर द्वारा भी प्रमाणित किया गया कि अभियुक्त सत्तार की मृत्यु दिनांक 10–02–2024 को हा गयी है। उसने दिनांक 04–03–2024 को वारन्ट पर मृत्यु प्रमाण पत्र व ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र संलग्न कर एस0एच0ओ0 महोदय से अग्रसारित कराकर न्यायालय में दाखिल किया था, जो पत्रावली पर कागज सं0 ख–38/1 ता 38/4 पर है, जिसका इन्द्राज उसके द्वारा जी0डी0 सं0 22 दिनांकित 04–03–2024 में भी किया गया है जो संलग्न है। उक्त कथनों के साथ उपनिरीक्षक योगेश कुमार द्वारा दिनांक 25/04/2024 को न्यायालय उपस्थित आकर अभियुक्त सत्तार की मृत्यु की सूचना को सिद्ध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली पर अभियुक्त सत्तार का मृत्यु प्रमाण पत्र कागज सं0 ख–38/2, ग्राम प्रधान की आख्या कागज सं0

ख–38/3 तथा थाना किरतपुर की जी0डी0 सं0 22 दिनांकित 04–03–2024 कागज सं0 ख–38/4 पर पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अभियुक्त सत्तार पुत्र बुन्दू उपरोक्त की मृत्यु के सम्बन्ध में उपनिरीक्षक योगेश कुमार थाना किरतपुर जिला बिजनौर की आख्या दिनांकित 04–03–2024 एवं बयान दिनाकित 25–04–2024 व ग्राम प्रधान की आख्या के अनुसार अभियुक्त सत्तार पुत्र बुन्दू की मृत्यु दिनांक 10–02–2024 को हो जाने के कारण उनके विरूद्ध सत्र वादों की कार्यवाही उपशमित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र वाद सं0 499/2022 सरकार बनाम शाहरूख आदि अन्तर्गत धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम, मु0अ0सं0 483/2021, थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर में **अभियुक्त सत्तार** की मृत्यु हो जाने पर उसके विरूद्ध उपरोक्त सत्र वाद की कार्यवाही **उपशमित** की जाती है। पत्रावली वास्ते हाजरी अभियुक्त शाहरूख दिनांक 08–05–2024 को पेश हो।

दिनांकः 25–04–2024

(प्रशान्त मित्तल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–03,
बिजनौर।
J.O. Code-UP 06174